

सेवा,

श्री साठसा, मोहन,
सेन्ट्रल बोर्ड,
अन्ध प्रदेश शासन।

सेवा ३,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन,
2/19, तीस फ्लोर, आगरी रोड,
परियोजना, नई दिल्ली।

संख्या अनु-17

दिनांक 30 जनवरी, 1988

विषय:- दयावती मोदी वॉलेंट स्कुल, राणवोली को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्ध हेतु अनारपीत प्रमाण पत्र

कोष,

मुझे यह ज्ञाने कि निम्नलिखित हुआ है कि दयावती मोदी वॉलेंट स्कुल, राणवोली को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्ध हेतु अनारपीत प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन अनारपीत नहीं है :-

1] सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विगतय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विगतय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान भेलापी और रिजर्व एवं निर्धन आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनके उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद/ क्षेत्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संपादित विगतयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधीन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगी। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर उत्तराधिकारों को राज्यीय स्तरागत प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के कार्यकारी को अनुसन्ध के अनुसार तथा अन्य भागों से का लेनामान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी अकेल निर्णय किए जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विगतय में अनुदान तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

(Handwritten signature)

वित्तिकीर्ण प्रतिक्रिया

- 1- विभागत की प्रबन्ध समित्त रविस्टर्ड होनी तथा कन्स-कन्स पर निगमानुसार जाक नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।
- 2- विभागत में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित डाक्टर का के कक्षा-कक्षा, दो वेकैल्पक विभागत का, दो प्रयोगशाळा का तथा चार प्रशासनिक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बलवती जायेगी और उन्हें कल्याणप्रदाय कक्षातकीय उच्चतर माध्यमिक विभागतों में कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा-निगृहितक लाभ उपलब्ध कराये जायेगी ।
- 4- विभागत का सेवा-बोडा निर्यातित प्रबन्ध/ वीथकडों में रखा जायेगा ।

2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय कन्स शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शित " कक्षातकीय प्रमाण बन" वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

संख्या-399 111/15-17-88-कक्षातकीय

! कक्षातकीय मंत्रालय !
दिल्ली व त्रिपुरा

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आकषण कर्मचारी हेतु प्रेषित:-
- 1- शिक्षा निदेशक, उज्जैन, राजनज/ कक्षातकीय ।
 - 2- मध्यमिक उच्च शिक्षा निदेशक, राजनज कक्षा, राजनज ।
 - 3- शिक्षा विभागत निरीक्षक, रायबरेली ।
 - 4- निरीक्षक, अंगत भारतीय विभागत, उज्जैन, राजनज
 - 5- प्रबन्धक, कक्षातकीय मोदी वीथकड कक्षा, कक्षातकीय मोदी प्रान, रायबरेली ।

जात है,

! कक्षातकीय मंत्रालय !
दिल्ली व त्रिपुरा